भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 299

(दिनांक 05.12.2023 को उत्तर देने के लिए)

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

299. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
श्रीमती जसकौर मीनाः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) तमिलनाडु और राजस्थान सहित देश में इन स्टेशनों की स्थापना के लिए अब तक स्वीकृत, आबंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु और राजस्थान सहित देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने सीआरएस स्थापित किए गए हैं;

(घ) तमिलनाडु और राजस्थान सहित देश में अब तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने सीएसआर संचालित किए जा रहें है;

(ङ) क्या सरकार ने, विशेष रूप से देश के दूरस्थ/दूर-दराज के क्षेत्रों में इन स्टेशनों की स्थापना के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में तमिलनाडु और राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क): सामुदायिक रेडियो स्टेशनों (सीआरएस) की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

(i) सामुदायिक रेडियो स्टेशन कम क्षमता वाले एफएम रेडियो स्टेशन हैं, जिनका प्रसारण कवरेज 5-10 किलोमीटर की रेंज में होता है।

(ii) भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) स्थापित करने की अनुमति गैर-लाभकारी संगठनों को दी जाती है। इनमें एनजीओ, शैक्षणिक संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) आदि शामिल हैं।

(iii) सामुदायिक रेडियो स्टेशन समुदाय को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि आदि से संबंधित स्थानीय मुद्दों पर कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

(iv) सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को स्थानीय समुदाय की भागीदारी से कम से कम 50% सामग्री तैयार करना आवश्यक है।

(ख): सामुदायिक रेडियो स्टेशन अनुमति धारकों द्वारा उनकी स्वयं की धनराशि का उपयोग करके स्थापित किए जाते हैं। तथापि, सरकार अवसंरचना स्थापित करने के लिए अनुमति धारकों को 10.00 लाख रुपये (पूर्वोत्तर राज्यों में सीआरएस के लिए 12 लाख रुपये तक) तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जब वे कम से कम 3 महीने के लिए स्टेशन की स्थापना और संचालन करते हैं। अब तक, कुल 119 सीआरएस को सीआरएस की अवसंरचना के लिए 8.86 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। सीआरएस का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**वित्तीय सहायता प्राप्त स्टेशनों की संख्या**
1	अरुणाचल प्रदेश	1
2	असम	1
3	बिहार	2
4	छत्तीसगढ	2
5	दिल्ली	2
6	गुजरात	3
7	हरियाणा	6
8	हिमाचल प्रदेश	1
9	जम्मू और कश्मीर	1
10	कर्नाटक	10
11	केरल	6
12	लद्दाख	1
13	मध्य प्रदेश	11
14	महाराष्ट्र	12
15	मणिपुर	4
16	नागालैंड	1
17	ओडिशा	6

18	पुदुचेरी	1
19	पंजाब	2
20	राजस्थान	7
21	सिक्किम	1
22	तमिलनाडु	10
23	तेलंगाना	2
24	त्रिपुरा	1
25	उत्तर प्रदेश	22
26	उत्तराखंड	3
	कुल	**119**

(ग) और (घ): देश में नवंबर, 2023 तक, कुल 474 सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित/प्रचालनरत हैं। कुल 474 सीआरएस में से 72 सीआरएस तमिलनाडु और राजस्थान में प्रचालनरत हैं। देश में प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की सूची निम्नानुसार है:-

देश में स्थापित/प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रचालनरत सामुदायिक रेडियो स्टेशन की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1
2.	आंध्र प्रदेश	11
3.	अरुणाचल प्रदेश	2
4.	असम	5
5.	बिहार	13
6.	चंडीगढ़	5
7.	छत्तीसगढ	13
8.	दिल्ली	5
9.	गुजरात	15
10.	हरियाणा	22
11।	हिमाचल प्रदेश	7
12.	जम्मू और कश्मीर	7
13.	झारखंड	3
14.	कर्नाटक	25
15.	केरल	21
16.	लद्दाख	1
17.	मध्य प्रदेश	40

18.	महाराष्ट्र	50
19.	मणिपुर	4
20.	मेघालय	1
21.	नागालैंड	1
22.	ओडिशा	40
23.	पुदुचेरी	2
24.	पंजाब	9
25.	राजस्थान	27
26.	सिक्किम	1
27.	तमिलनाडु	45
28.	तेलंगाना	10
29.	त्रिपुरा	1
30.	उत्तर प्रदेश	58
31.	उत्तराखंड	15
32.	पश्चिम बंगाल	14
कुल		**474**

(ङ) और (च): पात्र संगठनों द्वारा सामुदायिक रेडियो की स्थापना करना एक स्वैच्छिक क्रियाकलाप है। देश में सीआरएस की संख्या बढ़ाने के लिए, सरकार ने विशेष रूप से देश के दूरस्थ और दूर-दराज के क्षेत्रों में अवसंरचना और जागरूकता कार्यशालाओं के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान सहित कई उपाय किए हैं। इसके परिणामस्वरूप, सीआरएस की संख्या 2014 में 140 से बढ़कर नवंबर, 2023 तक 474 हो गई है, जो इस क्षेत्र में 300% से अधिक की वृद्धि है।

*****